न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 04/2016 अपील (RCMS/2016/00088)
पंजीयन दिनांक — 05.01.2016
निर्णय दिनांक — 24.03.2020

1. श्रीमती उदी बाई पत्नि श्री सोहनलाल भील, निवासी भुवाणा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता श्री टीला भील, निवासी खेमली, तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्रीमती नकारी पुत्र श्री टीला भील, पत्नि श्री डालु भील, निवासी आणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती खेमणी पुत्री श्री टीला भील, पत्नि बाबू भील, निवासी खेमली हाल बड़ी सादडी, चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती गमानी पुत्री श्री टीला भील, पत्नि श्री हीरा भील, निवासी ढाणी, तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. श्रीमती गेंदी पुत्री श्री टीला भील, पत्नि श्री दौला भील, निवासी बेरण, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती कमला पुत्री श्री टीला भील, पत्नि श्री वक्ता भील, निवासी बेरण, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
7. श्रीमती धापु पुत्री श्री टीला भील, पत्नि श्री कालू भील निवासी छापरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
8. श्रीमती केसी पुत्री श्री टीला भील, पत्नि श्री माना भील, निवासी विकरणी तहसील मावली, जिला उदयपुर।
9. श्री गोपाल पिता श्री राजू भील, निवासी नान्दवेल, तहील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
10. श्री शंकर पिता श्री कन्ना भील, निवासी 231, सहेली नगर, उदयपुर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली जिला उदयपुर।

—प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः—
1. श्री अरूण व्यास व लोकेश मेनारिया— वकील अपीलार्थी

प्रकरण संख्या—08/2007, श्रीमती गमानी व अन्य बनाम श्री मांगीलाल व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2008 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.03.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा प्रकरण संख्या–08/2007, श्रीमती गमानी व अन्य बनाम श्री मांगीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2008 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली समक्ष प्रश्नगत अपील के प्रत्यर्थी संख्या–4 से 8 क्रमशः गमानी, गेंदी, कमला, धापु व केसी ने ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या–5468 दिनांक 07.11.2006 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम की पेश की और कथन किया कि मौजा नाहरमगरा तहसील मावली में आराजी नम्बर 1619, 1620, 1621, 1622, 1623 किता 5 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। यह भूमि श्री टीला पिता देवा भील निवासी खेमली के नाम खातेदारी में अंकित थी। श्री टीला भील की मृत्यु होने उनका (प्रत्यर्थी संख्या–1 से 8) टीला की सम्पत्ति में सभी वारिसान बराबर हक अधिकार होकर संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा है, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 श्री मांगीलाल व नकारी के नाम नामान्तकरण संख्या–5468 स्वीकृत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई। प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 को ही पटवारी द्वारा वारिस बताकर नामान्तरकरण पेश किया जबकि दोनों के अलावा श्री टीला के अन्य पुत्रियां भी थी, जो विधिक वारिस है। ग्राम पंचायत द्वारा जो समस्त कार्यवाही की गई, उसके वह अनभिज्ञ थे व कार्यवाही अवैद्यानिक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष नामान्तरकरण संख्या–5468 दिनांक 07.11.2006 को निरस्त करने का अनुरोध किया।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा निर्णय दिनांक 30.04.2008 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वारिसान (मृतक टीला के वारिसान) की पूर्ण जांच कर अजसरेनों निर्णय पारित किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित निर्णय 30.04.2008 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 05.1.2016 को मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील मयाद के बिन्दु पर आपत्ति रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोंडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 03.03.2020 को वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं लिखित व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा नाहरमगरा तहसील मावली में आराजी नम्बर 1619, 1620, 1621, 1622, 1623

किता 5 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। यह भूमि श्री टीला पिता देवा भील निवासी खेमली के नाम खातेदारी में अंकित थी। श्री टीला की मृत्यु उपरान्त विरासत से उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या–5468 रेस्पोडेंट संख्या–1 मांगीलाल व रेस्पोडेंट संख्या–2 श्रीमती नकारी के नाम दिनांक 07.11.2006 को खोला गया। तत्पश्चात श्री मांगीलाल ने उक्त आराजीयात में अपने आधे हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2006 को अपीलान्ट को विक्रय कर विक्रय प्रतिफल प्राप्त किया व कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तरकरण संख्या–5524 दिनांक 06.12.2006 को स्वीकृत किय गया।

अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पाडेंट संख्या–4 से 8 ने अपील प्रस्तुत कर अपने आप को वारिस बताकर नामान्तकरण संख्या–5468 को निरस्त करने का अनुरोध किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या–5468 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय के अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या–6773 दिनांक 09.04.2009 को खोला गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या–1 से 8 के नाम दर्ज किए गए और राजस्व अभिलेखों में अपीलान्ट के नाम पूर्व नामान्तरकरण निरस्त होने से नाम विलोपित कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पाडेंट जो कि अनुसूचित जनजाति के होकर उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, फिर भी मृतक टीला की सम्पत्ति में पुत्रियों को भी बराबर हक व हिस्सा प्रदान करने की कानूनी त्रुटि की है। अनुसूचित जनजाति में सम्पत्ति का विरासत से केवल पुत्र–पुत्रों में ही वेस्ट होती है, न कि पुत्रियों में। इस बाबत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–2 स्पष्ट प्रावधित करती है कि कृषि भूमियों का विरासत से नामान्तरकरण अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने मयाद के बिंदु पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया जिसकी सूचना उसको कभी भी नहीं थी। साथ ही अवैद्यानिक रूप से स्वीकृत नामान्तरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, जिन पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होता है, यद्यपि उक्त आदेश की जानकारी होते ही प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद का अधिकार का प्रस्तुत कर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील देरी को क्षम्य किये जाने का अनुराध किया।

अन्त में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत– आरआरडी 1966 पेज 71 व आरआरटी 2002(1) पेज 46 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2008 को एवं उसके अनुसरण में पारित नामान्तरकरण को अपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया। साथ ही नामान्तरकरण संख्या–5468 को बहाल कर अपीलांट के पक्ष में भूमि क्रय करने उपरान्त दिनांक 06.12.2006 को खोला गया नामान्तरकरण संख्या–5524 को अपीलान्ट की सीमा तक बहाल किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस, प्रस्तुत लिखित बहस, न्यायिक दृष्टातों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित निर्णय 30.04.2008 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2016 को अपील प्रस्तुत की गई जो 8 वर्ष देरी से प्रस्तुत की गई। ऐसी स्थिति में सवप्रर्थम हम मयाद के बिन्दु को तय किया जाना उचित समझते है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2008 की कभी भी जानकारी नहीं हुई, प्रार्थीया द्वारा भूमि क्रय करने के उपरान्त अपना नाम राजस्व अभिलेखों में जरिये नामान्तरकरण संख्या–5524 दिनांक 06.12.2006 से खातेदार होकर मौके पर काबिज काश्त करती चली आ रही है, लेकिन दिनांक 07.09.2015 को प्रार्थीया द्वारा पटवारी हल्का से जानकारी करने पर कथित आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात नकले प्राप्त कर प्रकरण में कार्यवाही हेतु समस्त दस्तावेज अधिवक्ता को प्रदान किये लेकिन अधिवक्ता के बीमार होने से समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

हमनें अपीलार्थी के उक्त कथनों का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं निर्णय के परिपेक्ष्य में विचार विश्लेषण किया और पाया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 4, जिसमें अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या–4 है, को नियमानुसार सूचित किया गया जिसका वर्णन निर्णय में किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर 8 वर्ष तक अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलीय आदेश एवं नामान्तरकरणों का ज्ञान कैसे हुआ। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। 8 वर्ष की देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत किये जाने का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम का खारिज किया जाता है।

उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार हम अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं मयाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली का निर्णय दिनांक

30.04.2008 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2020 को सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर